# समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला नजारत शाखा)

## निविदा आमंत्रण सूचना

समाहरणालय, मधेपुरा के सम्पूर्ण परिसर एवं समाहरणालय स्थित सभी वेश्म/ कार्यालय/ शौचालय की नियमित प्रतिदिन साफ-सफाई हेतु इच्छुक निबंधित संस्थान/ प्रतिष्ठान से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा डालने की तिथि 14/8/15 को समय 3:00 बजे तक निर्धारित की जाती है। इच्छुक निविदादाता निर्धारित तिथि एवं समय तक समाहरणालय स्थित नजारत में रखे गये सीलबंद बक्शा में निविदा डाल सकते है। निविदा दिनांक 14/8/15 को बजे 3:30 जिला क्रय समिति मधेपुरा के समक्ष खोली जाऐगी। निविदा की शर्ते निम्न प्रकार है :-

(1) निविदा में भाग लेने वाले संस्थान/ प्रतिष्ठान को वैट कर, पैन कार्ड, सर्विस टैक्स का निबंधन होना अनिवार्य होगा।

(2) निविदादाता सीलबंद लिफाफा में तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग समर्पित करेंगे। कोट किया गया दर सभी टेक्स के साथ (Inclusive) होगा।

(3) तकनिकी निविदा में सफल होने पर हीं उस प्रतिष्ठान/ संस्थान का वित्तीय निविदा खोली जाऐगी।

(4) निविदा में भाग लेने वाले प्रतिष्ठान/ संस्थान को जमानत के रूप में मो0-10,000=00 (दस हजार) रूपये का राष्ट्रीय कृत बैक से डिमाण्ड ड्राफ्ट जो जिलाधिकारी मधेपुरा के पदनाम से होगा, संलग्न किया जाएगा।

(5) समाहरणालय भवन के सभी वेश्म/ कार्यालय/ शौचालय सीढी/ पोटिको इत्यादि लगभग 40000 (चालीस हजार) वर्ग फीट है।

(6) सफाई में प्रतिदिन कमरों की साफ-सफाई, प्रत्येक दिन 2 (दो) बार सफाई के उपरांत पौछा लगाना एवं 3 (तीन) बार अच्छे फिनाईल एसीड/हारपीक से करना अनिवार्य होगा। सभी वेश्म में रूम फ्रेसनर/ हीट स्प्रे/ हैंडवास/ डस्टवीन/ छोटा तौलिया प्रत्येक माह में 01 (एक) अदद् आपूर्त्ति करना होगा। समाहरणालय परिसर की साफ-सफाई प्रतिदिन अनिवार्य रूप से 2 (दो) बार सुबह 9 बजे तक एवं उसके बाद 2:00 बजे करना होगा।

(8) समाहरणालय परिसर में लगे पेड़-पौधों की कटाई-छटाँई एवं जंगली घास इत्यादि के साथ परिसर में स्थित फुलबाड़ी की साफ-सफाई करना अनिवार्य होगा।

(9) समाहरणालय परिसर में करीब 10 (दस) जगह डस्टवीन लगाना होगा और चयनित वेंण्डर द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मी द्वारा समाहरणालय स्थित फुलबाड़ी को फुल-पौधों से सुसज्जित करना एवं देखभाल करना होगा।

(10) उद्दृत की गई काम का आधार स्पष्ट बताना होगा।

(11) यह निविदा एक वर्षो के लिए मान्य होगा। कार्य संतुष्ट होने पर हीं अगले वर्ष के लिए कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(12) निविंदा में किसी प्रकार की संशोधन/ रद्द करने की शक्ति अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।
28/8/2015